न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 165 / 2024

अनवान : –

1. महेन्द्र कुमार पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर ।
2. निकुराम पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. ओम प्रकाश पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. भूपसिंह पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. रामसिंह पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. किस्तुरी पत्नी गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. शिमला पुत्री गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
7. मनी देवी पुत्री गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
8. ईमीलाल पति भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
10. सावत्री पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
11. गायत्री पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
12. कौशल्या पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
13. राजेश पुत्र भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 1 के.एम. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 15 / 16 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5. 0600 है0 भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 के.एम. तहसील नोहर के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि वादीगण के पिता मृतक गोधुराम पुत्र टोडाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादीगण के पिता गो[...] टोडाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके देहान्त के बाद वारिस किस[...] कलावती (पुत्री), शिमला (पुत्री), ओम प्रकाश (पुत्र), निकुराम (पुत्र), भूपसिंह (पुत्र), मह[...] कुमार (पुत्र) रामसिंह [...] हुए जिनमें से भागी देवी पुत्री गोधुराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस संख्या 8 ता 13 है जिनका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादीगण की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 ता 7 जो कि वादीगण की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 जो कि वादीगण की मृतक बहिन भागी देवी के वारिसान है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र/भाई/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा 1 केएम खाता संख्या 15/16, क्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा 2 केएम खाता संख्या 15/16, मृत्यु प्रमाण भागी देवी व गोधुराम, वारिसान प्रमाण पत्र भागीदेवी व मोधुराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता गोधुराम पुत्र टोडाराम के नाम दर्ज है गोधुराम पुत्र टोडाराम का देहांत हो चुका है गोधुराम पुत्र टोडाराम के जायज वारिसान मुताबिक सजरा खानदान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 13 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 के.एम. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 15/16 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 के.एम. तहसील नोहर के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादीगण के पिता मृतक गोधुराम पुत्र टोडाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता गोधुराम पुत्र टोडाराम का देहांत हो चुका है गोधुराम पुत्र टोडाराम के जायज वारिसान मुताबिक सजरा खानदान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 13 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उक्त कथनो एव वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 के.एम. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 15/16 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 के.एम. तहसील नोहर के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि उक्त दोनों खातों में मृतक गोधुराम पुत्र टोडाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:49 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 165 / 2024

अनवान : –

1. महेन्द्र कुमार पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर ।
2. निकुराम पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. ओम प्रकाश पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. भूपसिंह पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. रामसिंह पुत्र गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. किस्तुरी पत्नी गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. शिमला पुत्री गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
7. मनी देवी पुत्री गोधुराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
8. ईमीलाल पति भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
10. सावत्री पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
11. गायत्री पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
12. कौशल्या पुत्री भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
13. राजेश पुत्र भागी देवी जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 165 सन 2024 निर्णय दिनांक -15/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 के.एम. तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 15/16 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 2 के.एम. तहसील नोहर के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि उक्त दोनों खातों में मृतक गोधुराम पुत्र टोडाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:49 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर